

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-08/अ0प्र0-07-03/2025

354

पटना, दिनांक:- 3-7-25

ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन वर्ग-3 के लेखा लिपिक संवर्ग के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित लेखा लिपिक को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने हेतु निम्नरूपेण विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है:-

1	अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
3	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
4	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी	सदस्य
5	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का मनोनित पदाधिकारी	सदस्य
6	अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि मो० सुलतान, मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, पटना/तारिक अनवर, तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज प्रतिनियुक्त मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, पटना	सदस्य

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-03/2025

7235

पटना, दिनांक:- 3-7-25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मो० सुलतान, मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री तारिक अनवर, तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज प्रतिनियुक्त मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-03/2025

7235

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक:- 3-7-25

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव